Title: Requested the Government to grant citizenship to the Pakistani immigrants in the State of jammu and Kashmir who have been staying there since time of the Partition..

वैद्य विणु दत्त शर्मा (जम्मू) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से बहुत महत्वपूर्ण बात की ओर सदन का ध्यान आकर्ति करना चाहता हूं। देश के विभाजन के समय लाखों लोग पाकिस्तान से जम्मू-कश्मीर राज्य में प्रवेश कर गए, लेकिन दुख इस बात का है कि आज 53 साल बीत जाने के बाद भी उन लोगों को शहरी हुकूक नहीं मिले हैं। दुनिया का कोई मुल्क ऐसा नहीं है जहां ऐसा कोई कानून हो कि 53 साल तक वहां रहने के बाद उनको उस देश के शहरी हुकूक नहीं मिलें।

महोदय, इंगलैंड, यू.एस.ए., जर्मन या फ्रांस किसी भी देश को देख लीजिए, वहां तीन-चार साल रहने के बाद उस देश की नागरिकता उनको मिल जाती है, लेकिन हमारे देश में हमारे ही देश के नागरिकों को 53 साल बीत जाने के बाद भी शहरी हुकूक नहीं दिए गए हैं जिसके कारण उनकी दुर्दशा हो रही है। आज स्थिति यह है कि वे वोट नहीं डाल सकते हैं। जो इस देश को अपनी मातृभूमि समझकर इस देश में आए और जम्मू तथा कश्मीर स्टेट में बसे, उन्हें उनके शहरी हुकूक से वंचित रखा गया है। वे वोट नहीं डाल सकते, चुनाव में अपना उम्मीदवार खड़ा नहीं कर सकते हैं।

महोदय, दुनिया का कोई मुल्क ऐसा नहीं है जहां इतने वर्ों तक रहने के उपरान्त भी लोगों को

*Not Recorded.

उनके मौलिक अधिकारों से वंचित रखा गया हो। हम ह्यूमन राइट्स कमीशन की बात करते हैं, लेकिन उनके हुकूक को न देकर हम ह्यूमन राइट कमीशन का भी उल्लंघन कर रहे हैं। मैं सरकार से पूछना चाहता हूं कि 53 वर्ों से आज तक उनको शहरी हुकूक क्यों नहीं दिए गए ? उनकी तीन पीढ़ियां बर्बाद हो गई हैं। उनको सिर छिपाने की जगह नहीं मिल रही है। उन्हें नागरिक अधिकारों से वंचित किया गया है। वे जमीन नहीं खरीद सकते हैं, घर नहीं बना सकते हैं, स्कूलों में नहीं पढ़ सकते है। उनके मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है। वहां की सरकार उनको नागरिक हुकूक नहीं दे रही है। मेरी आपके माध्यम से सरकार से प्रार्थना है कि उनको शहरी हुकूक दिए जाएं।â€¦(व्यवधान)

MR. SPEAKER: This will not go on record.

*(Interruptions) â€¦**